संख्या–५५५ /47–का–3–2012–13/1/2011

प्रेषक,

एच.एल.गुप्ता
विशेष सचिव।
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रशासक,
उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग–3 **लखनऊ :** **दिनांक : 11 अप्रैल, 2012**

विषयः–वित्तीय वर्ष 2012–2013के व्यय के लिए उ0प्र0अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयोग के पत्र संख्या–120/लेखा–आयोग/2011–2/1(27)/155– 2011 दिनांक–19–10–2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को वेतन भत्तों आदि के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2012–2013 हेतु आय–व्ययक के अन्तर्गत उ0प्र0 विनियोग (लेखा अनुदान)अधिनियम, 2011 (अधिनियम संख्या–23 सन 2011) द्वारा स्वीकृत व्यय के लिए रू0 1,88,47,000.00 (रूपया एक करोड़ अट्ठासी लाख सैतालिस हजार मात्र) का 1/3 भाग (अप्रैल, 2012 से जुलाई,2012 तक) के लिए रू0 62,80,000.00(रूपया बासठ लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि जिसका मदवार विवरण निम्नवत है, के व्यय हेतु अप्रैल, 2012 से जुलाई, 2012 तक प्रशासक, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, के निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि रूपये में)

मद संख्या एवं मद का नाम	बजट साहित्य के पृष्ठ–12 के अनुसार स्वीकृत कुल धनराशि	04 माह (अप्रैल, 2012 से जुलाई, 2012 तक) अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
01–वेतन	1,00,00,000	33,33,000
03–मंहगाई भत्ता	69,00,000	23,00,000
04–यात्रा भत्ता	15,000	5,000
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3,000	1,000
06–अन्य भत्ते	15,00,000	5,00,000
07–मानदेय	1,000	–
08–कार्यालय व्यय	50,000	16,000
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	15,000	5,000
13–टेलीफोन व्यय	15,000	5,000
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद	1,20,000	40,000
16–व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5,000	1,000
19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	–	–
29–अनुरक्षण	25,000	8,000
42–अन्य व्यय	–	–

45–अवकाश यात्रा व्य		33,000	11 ^0
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण	टेशनरी का क्य	15,000	5,000
49–चिकित्सा व्यय		1,50,000	50,000
योग :		**1,88,47,000**	**62,80,000**

(रूपये बासठ लाख अस्सी हजार मात्र)

2– विनियोग अधिनियम द्वारा स्वीकृत/उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का उपयोग केवल चालू योजनाओं पर ही किया जायेगा तथा किसी भी स्थिति में उक्त धनराशि का उपयोग वर्ष 2012–2013 की नयी मदों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाएगा।

3– स्वीकृत व्यय पूरा करने के लिए प्रदेशनों (एलाटमेंट्स) में से धनराशि का विनियोग बजट मैनुअल के संबंद्ध नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों द्वारा नियंत्रित होगा। धनराशि का प्रदेशन मात्र से ऐसा व्यय करने का कोई अधिकार नहीं होगा, जिसे करने के लिए बजट मैनुअल तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों के अन्तर्गत जहां सक्षम प्राधिकारी की अनुमोदन की आवश्यकता हो, व्यय करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

4– विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आबंटन एवं आबंटित /वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या–बी–1–1195/दस–16–94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

5– शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में शासनादेश संख्या– सी0ए0–1132/दस–2004– मि0–1/2004 दिनांक 7–1–2005 का विशेष रूप से पालन किया जाए।

6– उपर्युक्त व्यय अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2051–लोक सेवा आयोग–103–कर्मचारी चयन आयोग–आयोजनेत्तर–03 उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जाएगा।

भवदीय,

(एच.एल.गुप्ता)
विशेष सचिव

संख्या– 444–(1)/47–का–3–2012–13/1/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) वरिष्ठ लेखाधिकारी (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(4) निदेशक, वित्त सांख्यकीय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
(7) वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच.एल. गुप्ता)
विशेष सचिव।